

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nlc.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 93

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।


प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
SC/NIL/FEMALE/ 20SAMVIDA/WAITING/02	सुश्री अंकिता सोमकुवर पिता/पति श्री कमल प्रसाद सोमकुवर पता- 104/1, थुनिया भंद हवाई पट्टी, कुलबेहर वार्ड नं 35, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, पिन-480001, मोबाईल न.- 9713616900	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड छिन्दवाडा जिला- छिन्दवाडा

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भौति वसूली योग्य होगी।

19.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।


19.2.2024

11. घयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


19.2.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पू.उ..

पृ.क्र. 1567 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित सुश्री अंकिता सोमकुवर पिता/पति श्री कमल प्रसाद सोमकुवर पता- 104/1, युनिया भंड हवाई पट्टी, कुलबेहर वार्ड नं 35, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, पिन-480001, मोबाईल न.-9713616900 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


19.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 94 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/ 20SAMVIDA/WAITING/24	श्री चंदू लाल मरकाम पिता श्री सखान लाल मार्कम पता- वार्ड नंबर 14, ग्राम पिपियारिया, पोस्ट किंडराई, तहसील गंसौर, जिला-सिवनी, मध्य प्रदेश, पिन-480997, मोबाईल न.-7974887997	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड नरसिंहपुर जिला- नरसिंहपुर

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


15.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।


15.2.2011

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 1588

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित श्री चंदू लाल मरकाम पिता श्री सखान लाल मार्कम पता- वार्ड नंबर 14, ग्राम पिपियारिया, पोस्ट किंडराई, तहसील गंसौर, जिला-सिवनी, मध्य प्रदेश, पिन-480997, मोबाईल न.-7974887997 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


19.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक

89

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक

19/02/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
EWS/NIL/OPEN /20SAMVIDA/WAITING/03	श्री गणेश प्रसाद पाठक पिता श्री कृष्णा गोपाल पाठक पता- वार्ड नं 9, जैन मंदिर के पास, चंदला, चंदला, जिला-छत्रपुर, मध्य प्रदेश, पिन-471525, मोबाईल न.-8821078468	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड पन्ना जिला- पन्ना

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


19.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

19.2.2024

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

....निरंतर...कृ.पू.उ..

पृ.क्र. 1563

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड सागर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड पन्ना की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित श्री गणेश प्रसाद पाठक पिता श्री कृष्णा गोपाल पाठक पता- वार्ड नं 9, जैन मंदिर के पास, चंदला, चंदला, जिला-छत्रपुर, मध्य प्रदेश, पिन-471525, मोबाईल न.-8821078468 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


19.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 97

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/11	श्री सौरभ सिंह कश्यप पिता श्री राजेंद्र प्रसाद कश्यप अमलतास एनक्लेव पता- इंदिरानगर, लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन-226016, मोबाईल न.- 9889296761	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड शिवपुरी जिला- शिवपुरी


यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


19.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


15. 2. 2024
(के.के.सोनिगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 1571
प्रतिलिपि :-

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड शिवपुरी की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित श्री सौरभ सिंह कश्यप पिता श्री राजेंद्र प्रसाद कश्यप अमलतास एनक्लेव पता- इंदिरानगर, लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन-226016, मोबाईल न.-9889296761 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


(19.2.2024)
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nlc.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक

96

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक

19/02/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।


प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/FEMALE/WAITING/04	सुश्री बबली रंधावा पिता/पति श्री चंपालाल गुलाटी पता- वार्ड नं 20, धरमपुरी, धार, मध्य प्रदेश, जिला-धार, मध्य प्रदेश, पिन-454449, मोबाईल न.-7898890252	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड नीमच जिला- नीमच

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


19.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।


15.12.2014

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


(के.के.सौनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पृ.उ..

पृ.क्र. 1570 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 19/02/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड नीमच की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित सुश्री बबली रंधावा पिता/पति श्री चंपालाल गुलाटी पता- वार्ड नं 20, धरमपुरी, धार, मध्य प्रदेश, जिला-धार, मध्य प्रदेश, पिन-454449, मोबाईल न.-7898890252 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


19.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक

86

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।


प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/FEMALE/WAITING/07	सुश्री आरती भगोरा पिता/पति श्री भरत सिंह भगोरा शिवगढ़ पता- रतलाम, रतलाम, रतलाम, मध्य प्रदेश, जिला-रतलाम, मध्य प्रदेश, पिन-457001, मोबाईल न.-7566402400	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड रायसेन जिला- रायसेन

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


19.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।


19.2.2024

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


(के.के.सिंगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 1560 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 19/02/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड रायसेन की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित सुश्री आरती भगोरा पिता/पति श्री भरत सिंह भगोरा शिवगढ़ पता- रतलाम, रतलाम, रतलाम, मध्य प्रदेश, जिला-रतलाम, मध्य प्रदेश, पिन-457001, मोबाईल न.-7566402400 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।

19.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 84 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/19	सुश्री ज्योति पिता/पति श्री संजीव कुमार गौशाला रोड पता- मजरा फाटक के पास, जिला- महेन्द्रगढ़, हरियाणा, पिन-123029, मोबाईल न.9549988460	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड ग्वालियर जिला- ग्वालियर

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


19.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवाओं को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।


19.2.2024

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


19.2.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 1558 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 19/02/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित सुश्री ज्योति पिता/पति श्री संजीव कुमार गौशाला रोड पता- मजरा फाटक के पास जिला- महेंद्रगढ़, हरियाणा, पिन-123029, मोबाईल न.-9549988460 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।

19.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 87

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।


प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/20	श्री संचीदानंद मौर्या पिता श्री शिवशरण मौर्या सिकरी पता- सिकरी, चंदोली, चंदोली, उत्तर प्रदेश, जिला-चंदोली, उत्तर प्रदेश, पिन-232102, मोबाईल न.-7752949175	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड भिण्ड जिला- भिण्ड

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


15.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।


19.2.2014

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1,एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 1561 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड भिण्ड की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित श्री संचीदानंद मौर्या पिता श्री शिवशरण मौर्या सिकरी पता- सिकरी, चंदोली, चंदोली, उत्तर प्रदेश, जिला-चंदोली, उत्तर प्रदेश, पिन-232102, मोबाईल न.-7752949175 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


19.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल enclph@nlc.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 90

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।


प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/ 20SAMVIDA/WAITING/17	श्री जितेंद्र कुमार जैन पिता श्री सतीश चंद्र जैन पता- एच नहीं 134/2, ग्राम खिस्टन, पोस्ट खिस्टन, पृथ्वीपुर, जिला निवाडी, मध्य प्रदेश, पिन-472338, मोबाईल न.-8770587121	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड खण्डवा जिला- खण्डवा

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


19.2.24

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।


19.12.2014

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पू.उ..

पृ.क्र. 1564
प्रतिलिपि :-

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड खण्डवा की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित श्री जितेंद्र कुमार जैन पिता श्री सतीश चंद्र जैन पता- एच नही 134/2, ग्राम खिस्टन, पोस्ट खिस्टन, पृथ्वीपुर, जिला निवाडी, मध्य प्रदेश, पिन-472338, मोबाईल न.-8770587121 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।

15.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 9)

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।


प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/12	श्री पीयूष दीक्षित पिता श्री वी के दीक्षित कैरियर हायर सेकेण्डरी स्कूल के पीछे पता- आदर्श नगर कॉलोनी, होशंगाबाद, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, जिला-होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, पिन-461001, मोबाईल न.-9589365666	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड देवास जिला- देवास

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


15.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।


19.12.2014

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


19.2.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पू.उ..

पृ.क्र. 1565

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड देवास की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित श्री पीयूष दीक्षित पिता श्री वी के दीक्षित कैरियर हायर सेकेण्डरी स्कूल के पीछे पता- आदर्श नगर कॉलोनी, होशंगाबाद, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, जिला-होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, पिन-461001, मोबाईल न.- 9589365666 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


19.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक

95

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक

19/02/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
ST/NIL/OPEN/ 20SAMVIDA/WAITING/31	श्री वेस्ता मौर्य पिता श्री सुमला मौर्या पता- वाईल उमारी, पोस्ट कनवाडा, उमारी, जोबट, जिला- अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, पिन-457990, मोबाईल न.-9993809807	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड झाबुआ जिला- झाबुआ

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

19.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

19.2.2024

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


19.2.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 1569

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड झाबुआ की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित श्री वेस्टा मौर्य पिता श्री सुमला मौर्या पता- वाईल उमारी, पोस्ट कनवाडा, उमारी, जोबट, जिला- अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, पिन-457990, मोबाईल नं.-9993809807 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


19.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nlic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 92 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।


प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/15	श्री श्रेयांश गहलोत पिता श्री प्रदीप सिंह गहलोत पिपलानी पता- विवेकानंद नगर, भोपाल, भोपाल, मध्य प्रदेश, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन- 462021, मोबाईल न.-7000301584	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड उज्जैन जिला- उज्जैन

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


19.2.24

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र,स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।


15.12.2024

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


19.2.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर...कृ.पू.उ..

पृ.क्र. 1566

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित श्री श्रेयांश गहलोत पिता श्री प्रदीप सिंह गहलोत पिपलानी पता- विवेकानंद नगर, भोपाल, भोपाल, मध्य प्रदेश, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462021, मोबाईल न.-7000301584 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।

19.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन'बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nlc.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 85⁵ स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।


प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/WAITING/17	श्री विभव जैन पिता श्री राजेंद्र कुमार जैन पाराशर सर्विसिंग पॉइंट के पास पता- रामपुरा वार्ड, सागर, सागर, मध्य प्रदेश, जिला-सागर, मध्य प्रदेश, पिन-470002, मोबाईल न.-8827080923	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड गुना जिला- गुना

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


19.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।


19.2.2024


11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


19.2.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 1559 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 19/02/2024

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड गुना की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड मैकेनिकल उपखण्ड गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित श्री विभव जैन पिता श्री राजेंद्र कुमार जैन पाराशर सर्विसिंग पॉइंट के पास पता- रामपुरा वार्ड, सागर, सागर, मध्य प्रदेश, जिला-सागर, मध्य प्रदेश, पिन-470002, मोबाईल न.-8827080923 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


19.2.2024
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल encph@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक

२८

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायावि/2024

भोपाल दिनांक

19/02/2024


//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।


प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
SC/NIL/OPEN/ 20SAMVIDA/WAITING/10	श्री आनंद कुरवंशी पिता श्री प्रमोद कुरवंशी पता- गंगानगर गढा, रुद्राक्ष पार्क के पास जिला-जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन-471525, मोबाईल न.- 9754374642	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड कटनी जिला-कटनी

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।


15.2.2024

02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।


15.2.2014

11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 19.02.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


15.2.2024
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 1562

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 19/02/2024

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- कटनी की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित श्री आनंद कुरवंशी पिता श्री प्रमोद कुरवंशी पता- गंगानगर गढा, रुद्राक्ष पार्क के पास जिला- जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन-471525, मोबाईल न.-9754374642 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।


19.2.2024
प्रमुख अभियंता